रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1972/पौष 17, 1893

No. 15] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1972/PAUSA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th January 1972

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Second Amendment Order, 1972.

2. In Part 'B' of Schedule I to the said Order, item No. 54(iii) (as given in the amendment Order No. E(C)O,1968/AM(61), dated 25th August, 1971) shall be re-numbered and substituted by the following:—

"54(vi) Vintage cars and parts and components thereof i.e. motor cars namely of 1940 and earlier models".	Canalised through the State Trading Corporation of India Limited.

[No. E(C)O, 1968/AM(72).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

एस० ओ० 23(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाये।

2. उक्त आदेश की अनुसूची 1 के भाग 'बी' में मद संख्या 54(iii) (संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 1968/ए०एम० (61) दिनांक 25-8-1971 में यथा उल्लिखित) पुनर्संख्यांकित की जायेगी और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :—

"54(6) पुरानी कारें तथा पुर्जे और उनके संघटक जैसे 1940 और इससे पहले के मॉडल की मोटर कारें।"	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के माध्यम से सरणीबद्ध।

[सं० ई० (सी०) ओ०, 1968/ए० एम० (72)]

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972